राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
अनुभाग 3

नरेगा अति-आवश्यक

क्रमांक :4(1) आरडी/नरेगा/एएपी 10–11/2009 जयपुर, दिनांकः– 7/10/09

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
समस्त राजस्थान।

महोदय,

वर्ष 2010–11 हेतु नरेगा की वार्षिक कार्य योजना तैयार किए जाने हेतु आयुक्त नरेगा द्वारा आपको दिनांक 11–9–09 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए थे, परन्तु अभी तक आप द्वारा जारी ग्राम सभा आयोजन आदेश की प्रति विभाग को नहीं भिजवाई है। जिले में लगातार 10 दिन तक प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजन इस प्रकार किया जावे कि जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में इस अवधि में ग्राम सभा आयोजित हो जावे एवं प्रत्येक ग्राम सभा में पंचायत समिति स्तर से एक प्रशिक्षित तकनीकी अधिकारी उपस्थित होवे ताकि आपके जिले हेतु केवल उपयोगी एवं अनुमत कार्य ही श्रम सामग्री के उचित अनुपात में ग्राम पंचायत स्तर की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किए जा सके।

ग्राम सभा आयोजन से पूर्व जिले के समस्त तकनीकी अधिकारियों, विकास एवं कार्यक्रम अधिकारियों एवं लाईन विभागों को आपके द्वारा समुचित प्रशिक्षण दिया जावे। जल संसाधन विभाग, वन विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अत्यावश्यक एवं नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत प्रस्तावित कार्यों की भी ग्राम पंचायतवार अग्रिम सूची जिला स्तर पर सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करके, ग्राम सभा में विचारार्थ भेजी जावे एवं इन कार्यों के गुणावगुण पर ग्राम सभा में चर्चा की जाकर ही वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया जावे। इन विभागों से यह प्रमाण–पत्र भी लिया जावे कि आगामी वितीय वर्ष में करवाए जाने वाले समस्त आवश्यक कार्यों को सूचीबद्ध किया जाकर सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के विचारार्थ भिजवा दिया गया है।

कार्य योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं बीपीएल परिवारों के केटेगरी–4 में अनुमत कार्यों को श्रम सामग्री अनुपात का ध्यान रखते हुए अधिकाधिक सम्मिलित किया जावे ताकि इन परिवारों की भूमि, जल सुधार के कार्यों से स्थाई उत्पादकता वृद्धि होकर इनकी आजीविका में वृद्धि हो सके। इन परिवारों के व्यक्तिगत लाभ के कार्यों के पश्चात लघु एवं सीमांत कृषकों के लाभार्थ भी इस श्रेणी में कार्य लिए जावे।

पूर्व में दिए गए निर्देशानुसार वार्षिक कार्य योजना में ग्राम पंचायत की समस्त प्रमुख सड़कों एवं मार्गों के दोनों ओर वृक्षारोपण कार्य सम्मिलित किये जावे। वार्षिक कार्य योजना में इस तरह के कार्यो को सड़क के Identification के साथ किलोमीटर लिखते हुए पौधे लगाने व उनके पॉच वर्ष तक रखरखाव को सम्मिलित रखते हुए कार्य प्रस्तावित किये जावे। वार्षिक कार्य योजना में कार्य का नाम निम्न प्रकार से रखा जा सकता है :–

"—— से —— तक की रोड़ के किमी—— से किमी—— तक पौधे लगाने एवं उनके रखरखाव का कार्य"

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही संपादित करावें।

भवदीय

(आर. के. मीणा)
प्रमुख शासन सचिव